ANNEXURE V

Affidavit by

PARENTS/ GUARDIAN OF THE STUDENT RESIDING IN PG/ RENTED ACCOMMODATION

| I, Mr./Ms | s fa | ather / mother / guardian of, | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| that my Universi in respe ward is | ward is not availing the residential facility of the Un ity premises. I will ensure that I/ my ward abide by all ect of the students residing in such accommodation | Programme> in Lovely Professional university, Phagwara hereby undertake iversity and intends/ is residing in PG/ Rented accommodation outside the the guidelines, instructions, policies etc. whatsoever issued by the university from time to time and I also undertake that I will be myself responsible if my g but not limited to the following acts and/ or of any act which is prohibited uthority as in force from time to time: | | | | | | | | |
| a) | Misbehaviour, cruelty or physical assault or threat t | o use physical force, against any person. | | | | | | | | |
| b) | Carry of, possession, use of, or threat to use or abetting the use of any kind of weapons including sticks, rods, guns, sword knifes, etc. and any kind of firework, crackers or any other explosives or anything which are barred by the law; | | | | | | | | | |
| c) | Possession, use of or dealing with or abetting the use of any kind of intoxicating material including alcohol, drugs of any kind gutka, tobacco, cigarettes or any other sedative materials; | | | | | | | | | |
| d) | Any violation of the provisions of the Civil Rights Protection Act, 1976 or any other law for the time being in force; | | | | | | | | | |
| e) | Indulging in or encouraging violence or any conduct which involves moral turpitude; | | | | | | | | | |
| f) | Any form of gambling; | | | | | | | | | |
| g) | Drinking or smoking; | | | | | | | | | |
| h) |) Any practice-whether verbal or otherwise-derogatory of women; | | | | | | | | | |
| l) | Any attempt or threat to commit suicide or likewise or abetting or inciting any other person to commit suicide or anyth unwarranted and/or prohibited by law or otherwise; | | | | | | | | | |
| j) | Ragging/indiscipline/misbehaviour/hooliganism etc. | | | | | | | | | |
| | | ☑ Signature of Deponent | | | | | | | | |
| | V | ERIFICATION | | | | | | | | |
| | that the contents of this affidavit are true to the best led or misstated therein. | of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been | | | | | | | | |
| Verified | aton this the | (day) of month ,(year). | | | | | | | | |
| | | ☑ Signature of Deponent | | | | | | | | |

ANNEXURE V

शपथ पत्र माता-पिता / किराए पर दिए गए या अन्य निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता / कानूनी अभिभावक की तरफ से

| पाठ्यक्रम | मैं, | श्री | / | श्रीमती_ | | | | पिता | 1 | माता | / | कानूनी | अभिभावक |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|---------|-------------------|------------------|------------|-----------------|
| यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा रही आवासीय सुविधाएं नहीं ले रहा है और परिसर के बाहर व्यक्तिगत तौर पर/ पेइंग गैस्ट/ किरायेदार के रूप में रह रहा है। मैं यह वचन देता हूँ कि उन सभी दिशा-निर्देशों व नीतियों आदि का, जो भी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर इस तरह के आवास में रहने वाले छात्रों के संबंध में जारी किए जाते हैं, पालन करेंगे और मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि मेरा अध्यर्थी किसी भी अनुशासनात्मक दुराचार का दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा। यह मात्र निम्नलिखित कृत्यों और / या किसी भी अधिनियम के लिए सीमित नहीं है, बल्कि उसके लिए भी जे कि भूमि या नियमों के किसी भी कानून के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है: i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, क्रूरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी। ii) लाठी, सरिया, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूमपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्लाकों से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्ला करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उक्ताने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निपिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्ववहार / गूंडागर्दी आदि। सत्यापित किया जाता है कि इस हलफनामें में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं कहा गया है। | | | | | | | पंजीकरण | | संख्य | ग | | | |
| किरायेदार के रूप में रह रहा है मैं यह वचन देता हूँ कि उन सभी दिशा-निर्देशों व नीतियों आदि का, जो भी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर इस तरह के आवास में रहने वाले छात्रों के संबंध में जारी किए जाते हैं, पालन करेंगे और मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि मेरा अभ्यर्थी किसी भी अनुशासनात्मक दुराचार का दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा यह मात्र निम्नलिखित कृत्यों और / या किसी भी अधिनयम के लिए सीमित नहीं है, बल्कि उसके लिए भी जो कि भूमि या नियमों के किसी भी अनुन के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है: i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, क्रूरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी। ii) लाठी, सरिया, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हिथारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराव, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूमपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निपिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। सत्यापन सत्यापन किया जाता है कि इस हलफनामें में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है हा गया है। | पाठ्य | क्रम | | | | _लवली प्र | किशनल यूनिक | वर्सिटी, फर | ावाड़ा | , सुनिश्रि | वृत क | रता हूँ कि | मेरा अभ्यर्थी |
| विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर इस तरह के आवास में रहने वाले छात्रों के संबंध में जारी किए जाते हैं, पालन करेंगे और मैं यह भी बचन देता हूँ कि यदि मेरा अभ्यर्थी किसी भी अनुशासनात्मक दुराचार का दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा यह मात्र निम्नलिखित कृत्यों और / या किसी भी अधिनियम के लिए सीमित नहीं है, बल्कि उसके लिए भी जो कि भूमि या नियमों के किसी भी कानून के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है: i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, कृरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी। ii) लाठी, सित्या, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धृम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषेद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ### सत्यापन ### सत्यापन ### सत्यापन ### सत्यापन ### सत्यापन ### सत्यापन किया जाता है कि इस हलफनामे में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं कहा गया है। | यूनिव | र्सिटी | द्वारा | दी जा रह | हो आवार्स | ोय सुविधा | एं नहीं ले रहा | है और पर्ि | रेसर वे | त्र बाहर <i>े</i> | व्यक्ति | गत तौर प | र/ पेइंग गैस्ट/ |
| करेंगे और मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि मेरा अभ्यर्थी किसी भी अनुशासनात्मक दुराचार का दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा यह मात्र निम्नलिखित कृत्यों और / या किसी भी अधिनियम के लिए सीमित नहीं है, बल्कि उसके लिए भी जो कि भूमि या नियमों के किसी भी कानून के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है: i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, क्रूरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी। ii) लाठी, सरिया, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूमपान; viii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूमपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ### ################################ | किरायेदार के रूप में रह रहा है। मैं यह वचन देता हूँ कि उन सभी दिशा-निर्देशों व नीतियों आदि का, जो भी | | | | | | | | | | | | |
| तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा यह मात्र निम्नलिखित कृत्यों और / या किसी भी अधिनियम के लिए सीमित नहीं है, बल्कि उसके लिए भी जो कि भूमि या नियमों के किसी भी कानून के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है: i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, क्रूरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी। ii) लाठी, सिर्या, बंदूक, तलबार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नारिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूमपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्रहत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | ······································ | | | | | | | | | | | | |
| नहीं है, बल्कि उसके लिए भी जो के भूमि या नियमों के किसी भी कानून के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है: i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, क्रूरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी। ii) लाठी, सरिया, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं: iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | करेंगे और मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि मेरा अभ्यर्थी किसी भी अनुशासनात्मक दुराचार का दोषी पाया जाता है, | | | | | | | | | | | | |
| द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है: i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, क्रूरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी। ii) लाटी, सरिया, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | | तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा यह मात्र निम्नलिखित कृत्यों और / या किसी भी अधिनियम के लिए सीमित | | | | | | | | | | | |
| i) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, क्रूरता या शारीरिक हमला या शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी। ii) लाठी, सरिया, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | नहीं है, बल्कि उसके लिए भी जो कि भूमि या नियमों के किसी भी कानून के तहत या किसी भी सक्षम प्राधिकारी | | | | | | | | | | | | |
| ii) लाठी, सरिया, बंदूक, तलवार, चाकू इत्यादि और किसी भी तरह की आतिशवाजी, पटाखे या किसी भी विस्फोटक या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं: iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। सत्यापन सत्यापन सत्यापित किया जाता है कि इस हलफनामे में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है। | द्वारा समय-समय पर लागू किया जाता है: | | | | | | | | | | | | |
| या किसी भी तरह के हथियारों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने/ कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। पाता-पिता/ अभिभावक का हस्ताक्षर दिनांक: जगह: सत्यापन सत्यापित किया जाता है कि इस हलफनामे में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है। | i) कि | सी भी | व्यत्ति | न के विरु <i>ब</i> | द्र दुर्व्यवह | ार, क्रूरता व | या शारीरिक ह | मला या श | ारीरि | क बल क | न उप | योग करने | की धमकी। |
| देना जो कानून द्वारा वर्जित हैं; iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | |
| iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | |
| व्यवहार या उपयोग; iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदे); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | देनाः | जो का | नून द्वा | ारा वर्जित | · हैं ; | | | | | | | | |
| iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | iii) शराब, किसी भी तरह की नशीली दवाओं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का | | | | | | | | | | | | |
| कानून का कोई उल्लंघन; v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | व्यवह | हार या | उपय | ोग; | | | | | | | | | |
| v) हिंसा या किसी भी ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना या इसमें शामिल होना, जो अनैतिक एवं अमर्यादित है; vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | iv) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों या किसी अन्य कानून अथवा लागू होने वाले किसी भी | | | | | | | | | | | | |
| vi) किसी भी प्रकार का व्यसन (जुआ आदि); vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | |
| vii) मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान; viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | |
| viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | |
| viii) महिलाओं से सम्बंधित मौखिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार; ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | vii) Ŧ | ादक प | गदार्थो | का सेवन | अथवा | धूम्रपान; | | | | | | | |
| ix) आत्महत्या करने या किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रयास या धमकी अथवा अनुचित व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | • | | | | | | | | | | | | |
| व्यवहार, जो भी कानून द्वारा निषिद्ध हो; x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | |
| x) रैगिंग / अनुशासनहीनता / दुर्व्यवहार / गुंडागर्दी आदि। ——————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | |
| दिनांक: जगह: सत्यापन सत्यापित किया जाता है कि इस हलफनामे में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है। | * | | | | | | | | | | | | |
| दिनांक: जगह: सत्यापन सत्यापित किया जाता है कि इस हलफनामे में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है। | | | | | | | | | | f | गेन । | | |
| जगह: सत्यापन सत्यापित किया जाता है कि इस हलफनामे में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है। | दिनां | ച . | | | | | | | | माता-। | पता/ | जाममापप | भाहस्ताक्षर |
| सत्यापन सत्यापित किया जाता है कि इस हलफनामे में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है। | | | | | | | | | | | | | |
| नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है। | 4.16 | • | | | | | सत्याप | न | | | | | |
| नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या गलत नहीं कहा गया है। | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | सही है | है और इ | सका व | कोई भी हि | स्सा गलत |
| यनागन स्थान विनास गान हर्ष | - | - | | - | - | | | | | C | | | |
| त्रायायम् त्र्याम्ाष्मायःमाह्यष | सत्या | पन स्थ | गन | | दि | नाक | म | ाह | | वर्ष | | | |

माता-पिता/ अभिभावक का हस्ताक्षर